...ालय उप... ...कलक्टर, बीदासर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती संजू पारीक, आर.ए.एस.

...5/2013

1. स्व. भंवरसिंह पुत्र स्व. मगसिंह जाति राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
2. श्रीमती चन्द्रकंवर धर्म पत्नी स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
3. सुल्तानसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
4. सुमेरसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
5. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
6. सदा कंवर पुत्री स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
7. सुप्यार कंवर पुत्री स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
8. मनोज कंवर पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान

......................वादीगण

बनाम

1. बगतुराम पुत्र स्व. धुड़ाराम जाति भाट निवासी ग्राम कालू त0 लुणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
2. श्रीमती केशरदेवी पुत्री स्व. धुड़ाराम जाति भाट निवासी ग्राम कालू त0 लुणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान
3. श्रीमती कोयल देवी पुत्री स्व. धुड़ाराम धर्मपत्नी पुसाराम जाति भाट निवासी कस्वा श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर राजस्थान
4. श्रीमती किस्तुरी देवी पुत्री स्व. धुड़ाराम धर्मपत्नी चुन्नीलाल जाति भाट निवासी ग्राम सुड़सर त0 बीकानेर जिला बीकानेर राजस्थान
5. भागीरथ राम पुत्र स्व. खंगाराम जाति भाट निवासी सीतापुर त0 अवोहर जिला फिरोजपूर पंजाब
6. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व. पृथ्वीराज जाति भाट निवासी सीतापुर त0 अबोहर जिला फिरोजपूर पंजाब
7. कालुराम पुत्र स्व. पृथ्वीराज जाति भाट निवासी सीतापुर त0 अवोहर जिला फिरोजपूर पंजाब
8. कोजूराम पुत्र स्व. पृथ्वीराज जाति भाट निवासी सीतापुर त0 अबोहर जिला फिरोजपूर पंजाब
9. प्रकाश पुत्र स्व. पृथ्वीराज जाति भाअ निवासी सीतापुर त0 अबोहर जिला फिरोजपूर पंजाब
10. श्रीमान उप पंजियक कार्यालय बीदासर जिला चूरु राजस्थान
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु राजस्थान

...............प्रतिवादीगण

12. श्रीमती मोहन कंवर पत्नी स्व. सुरजनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
13. पदमसिंह दत्तक पुत्र स्व. सुरजनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
14. श्रीमती सम्पत कंवर पुत्री स्व. सुरजनसिंह पत्नी श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोजास त0 मण्डावा जिला झुंझुनू राजस्थान

Scanned by CamScanner

15. श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी स्व. लादूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
16. पुष्पसिंह पुत्र स्व. लादूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
17. सवाईसिंह पुत्र स्व. लादूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
18. भागूसिंह पुत्र स्व. लादूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
19. श्रीमती सुन्दर कंवर पत्नी स्व. देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान
20. विजयसिंह पुत्र स्व. देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु राजस्थान

.... गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु

उपस्थित

1. श्री बजरंग सिंह, एडवोकेट वादीगण।
2. श्री रघुवीर भामू एडवोकेट प्रतिवादीगण।
3. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

दिनांक –

वादी की ओर से दावा इस आशय का पेश किया गया है कि वादी के दादा गौण प्रतिवादी संख्या 12 व 15 के ससूर गौण प्रतिवादीगण संख्या 13, 14 तथा 16 व 18 के दादा नानसिंह के खातेदारी एंव कब्जा काश्त का खेत पुराना ख0न0 482 तादादी 26 बीघा 3 बिश्वा जिसके वर्तमान ख0न0 803 तादादी 26 बीघा 3 बिश्वा वाके रोही पारेवड़ा त0 बीदासर में स्थित है को स्व. नानसिंह जागीर के समय से ही काश्त करते आ रहे थे। राजस्थान कारतकारी अधिनियम लागू होने के समय व राजस्थान कास्तकारी संशोधन अधिनियम सन् 1961 तथा दिनांक 31.12.1969 को इस खेत पर स्व. नानसिंह का कब्जा कास्त उपयोग उपभोग कृषक के रुप में चला आ रहा था इसलिए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में बने प्रावधानो के अन्तर्गत स्व. नानसिंह इस खेत के खातेदार कृषक हो गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता प्रतिवादी संख्या 5 के दादा प्रतिवादीनी संख्या 6 के दादा ससूर व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के पड़ दादा स्व. धूड़ाराम ने वादगत खेत की कास्त जागीरदारी के समय ही छोड़ दी थी एवं गांव पारेवड़ा छोड़कर ग्राम कालू अपने ससूराल में जाकर बस गया था इसके बाद स्व. धूड़ाराम व उसके उतराधिकारियो ने वादगत खेत को कभी भी कास्त नही किया। राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो ने विना वास्तविक कब्जे की जांच किये वादगत खेत की खातेदारी गफलत एवं लापरवाही से स्व. धूड़ाराम के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी जो वादी के मुकावले अवैध एव शुन्य है। वादगत खेत पर गत 60 वर्षो से स्व. धूड़ाराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। वादगत खेत की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के पूर्वज स्व. धूड़ाराम के नाम गलत एवं अवैध दर्ज होने से वादी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इसलिए वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो स्व. धूड़ाराम के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त करवाकर अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाये जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। वादगत खेत की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर अंकित की जावे। वादगत खेत पुराना ख0न0 482 जिसके वर्तमान ख0न0 803 तादादी 26 बीघा 3 बिश्वा वाके रोही पारेवड़ा पर स्व. धूड़ाराम व उसके उतराधिकारियो का गत 60 वर्षो में कभी भी कब्जा काश्त नही रहा तथा उनका कब्जा वापिस प्राप्त करने का अधिकार कब का ही परिसीमा से वर्जित हो गया है। वादी का कब्जा वादगत खेत पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के मुकावले परिप्रक्ष्य हो चुका है। वादगत खेत में स्व. धूड़ाराम एवं उसके उतराधिकारीगण के जो अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

चली आयी है। दिनांक 05.04.2013 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 गाम पारेवड़ा आये तो वादी ने उनके आपसी तौर पर निवेदन किया की वादगत खेत की खातेदारी स्व. धूड़ाराम के नाम गलत दर्ज हुई है जिसको संशोधन करवाकर मेरे नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा दो तो वो ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की वादगत खेत की खातेदारी हम अपने नाम से दर्ज करवाकर वादगत खेत को किसी ताकतवर जाति को विक्रय कर देंगे जो तुम्हे वादगत खेत से जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगा। अतः यही दावे का वाद हेतुक है एवं वादग्रस्त वादगत खेत स्व. नानसिंह के खातेदारी एवं कब्जा कास्त को होने एवं वादगत खेत पर गत 40 वर्षो से वादी का निरन्तर बिना किसी रुकावट के कब्जा कास्त उपयोग उपभोग होने से प्राप्त है। वादगत खेत के राजस्व रेकार्ड में स्व. धूड़ाराम का नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के मन में बेईमानी व लालच पैदा हो गया वो इस गलत इन्दाज हो जाने के कारण प्रतिवादीगण ऐलानिया धमकिया देने लग गये कि वादी को बेदखल कर देंगे यदि वो अपने कृत्य में सफल हो गये तो वादी को अपूर्तीय क्षति होगी इसलिए प्रतिवादीगण के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा जारी करवाना आवश्यक हो गया है। दावा घोषणात्मक रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति का है। राजस्थान सरकार भू धारक होने के कारण कानूनी आपतियो को ध्यान में रखते हुए दावा में जरिये तहसीलदार बीदासर पक्षकार संयोजित किया गया है। मामला अन्यावश्यक प्रकृति हो होने के कारण राजस्थान सरकार को 2 माह का कानूनी नोटिस धारा 80 सीपीसी दिया जाना संभव नही होने के कारण धारा 80 (2) सीपीसी के तहत अलग से प्रा.प. पेश कर न्यायालय श्रीमान से 2 माह के कानूनी नोटिस की छूट प्राप्त कर न्यायालय की अनुमति लेकर यह दावा मान्य न्यायालय में पेश किया गया। दौराने दावा वादी भंवरसिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके जायज वारिस एवं उत्तराधिकारीगण वादीगण संख्या 1 ता 7 को वादी की जगह वादीगण की श्रेणी में जरिये संशोधित शीर्षक सम्मिलित किया गया है। हम वादीगण का वादा डिक्री किया जावे।

इस पर दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने अपना अधिवक्ता नियुक्त किया एवं दिनांक 18.02.2014 को प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 ने स्वयं ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दिक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 10.03.2014 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनाम पेश किया जो वाद तस्दिक शामिल पत्रावली किया गया। गौण प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 17 व 19, 20 की तरफ से श्री रघुवीर भामू एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। गौण प्रतिवादी संख्या 18 बावजुद तामील उपस्थित नही आने पर उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा गौण प्रतिवादीगण को जवाब हेतु काफी अवसर दिये जाने के बावजुद भी जवाब पेश नही किये जाने पर उनका जवाब बन्द किया। पेरोकार राज को भी जवाब का माकूल समय दिये जाने के बावजुद भी जबाव नही पेश किये जाने के कारण जवाब बन्द किय गया। वादीगण के वाद का किसी भी प्रतिवादीगण एवं गौणप्रतिवादीगण की तरफ से कोई जवाब पेश नही किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1

अधिकारी

Scanned by CamScanner

... प्रतिवादीगण नियुक्त हुए ... न्यायालय में उपस्थित होकर ... [illegible] ... [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 ने ... [illegible] स्वीकार किया है। वादीगण ने अपने पक्ष में दस्तावेज में नकल [illegible] प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी संवत 2010 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी संवत 2014-2017 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी संवत 2018-2021 प्रदर्श 4, नकल गिरदावरी संवत 2009-2012 प्रदर्श 5, नकल गिरदावरी संवत [illegible] प्रदर्श 6, नकल गिरदावरी संवत 2018-2021 प्रदर्श 7, नकल गिरदावरी संवत 2014-2017 प्रदर्श 8, नकल गिरदावरी संवत 2031-2034 प्रदर्श 9, नकल [illegible] प्रदर्श 10, नकल जमाबन्दी संवत [illegible] प्रदर्श 11 पेश किये तथा वादीगण ने अपने साक्ष्य में पीडब्लू 1 सुमेरसिंह वादी, पीडब्लू 2 [illegible], पीडब्लू 3 मीठुमलचन्द, पीडब्लू 4 पूर्णाराम के बयान कराये गये। इस दावा में किसी भी पक्षकार द्वारा कुछ [illegible] का जवाब पेश नहीं होने के कारण कोई विवाद नहीं होने के कारण कोई विवाद के बिन्दु कायम नहीं किये गये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई वकील वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि वादी के बाबा स्व. नानसिंह के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है नानसिंह ने बेटे पिता स्व. मनसिंह को यह भूमि मेरे दादा से अलग हुआ तब हिस्से पाती में दे दी तब से लेकर आज तक इसको वादी एवं वादीगण काश्त करते आ रहे हैं। स्व. नानसिंह के उत्तराधिकारियों को इस दावा में कानूनी आपत्तियों को मध्य नजर रखते हुए गौण प्रतिवादीगण पक्षकार संयोजित किया तथा स्व. पन्नेसिंह के वारिसान को भी गौण प्रतिवादीगण संख्या 19 व 20 पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादीगण ने स्वयं न्यायालय में हाजिर होकर राजीनामा पेश किया है राजीनामा में प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त खेत की खातेदारी स्व. बुधाराम के नाम गलत दर्ज हुई है क्योंकि स्व. बुधाराम ने जागीरदारी के समय ही वादग्रस्त खेत की काश्त छोड़कर गांव पारेवड़ा छोड़कर ग्राम कालू त0 लूणकरणसर जिला बीकानेर में जाकर बस गया था। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों ने वास्तविक कब्जे की जांच किये बिना पक्षपात एवं लापरवाही से स्व. बुधाराम के नाम दर्ज कर दी जो गलत एवं अवैध है। प्रतिवादीगण गत 60 वर्षों से अधिक समय से स्व. बुधाराम व उसके उत्तराधिकारियों में से किसी का भी कब्जा नहीं होना स्वीकार किया है तथा वादगत खेत पर वादीगण का कब्जा पारिवारिक होना स्वीकार किया है। स्व. बुधाराम व स्व. बुधाराम के किसी भी वारिस वादगत खेत से कोई संबंध व सरोकार नहीं होना भी स्वीकार किया है एवं मुताबिक राजीनामा वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने पर किसी प्रकार की उजर आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है गौण प्रतिवादीगण ने भी मान्य न्यायालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार का वादी के वाद का प्रतिकार नहीं किया है इसलिए वादीगण के वाद को मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी मुताबिक राजीनामा वादीगण के वाद का निर्णय किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया वादग्रस्त खेत के पुराने ख0न0 482 वाके रोही पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरू के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 1 से वर्तमान ख0न0 803 बनने साबित है प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत 2010 में वादगत खेत का काश्तकार नानसिंह वल्द अर्जनसिंह अंकित है तथा प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी संवत 2017 में भी पुराना ख0न0 482 का 1/2 हिस्सा पन्नेसिंह वल्द डूंगरसिंह व 1/2 हिस्सा नानसिंह वल्द अर्जनसिंह अंकित है नकल गिरदावरी प्रदर्श 5 से प्रदर्श 9 तक संवत 2009 से 2012, 2014–2017, 2017 से 2021, 2021–2024 में पहले नानसिंह फिर मनसिंह का कब्जा काश्त अंकित है। गिरदावरी संवत 2031–2034 प्रदर्श 9 में वादी के पिता मनसिंह की काश्त अंकित है। वादी ने मौखिक साक्ष्य में पीडब्लू 1 वादी सुमेरसिंह स्वयं ने बयान दिये है जिसमें कब्जा काश्त पहले नानसिंह फिर मनसिंह फिर भंवरसिंह व भंवरसिंह के स्वर्गवास के बाद वादीगण का कब्जा काश्त होना व बुधाराम के नाम गलत दर्ज होना बयान किया है व इस खेत पर बुधाराम व उसके वारिसान का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं होना बयान किया है पीडब्लू 2 जयराम जो वादगत खेत का उत्तरी तरफ का सिंव जोड पड़ौसी है। मीठुमलचन्द पीडब्लू 3 जो वादग्रस्त खेत का दक्षिणी तरफ का सिंव जोड पड़ौसी है। पीडब्लू 4 पूर्णाराम जो वादगत खेत का पश्चिमी तरफ का सिंव जोड पड़ौसी है जो अपने बयानों में वादगत खेत को मनसिंह भंवरसिंह व वादीगण को ही वादग्रस्त

Scanned by CamScanner

खेत को कास्त करते देखना ब्यान किया है इस खेत को धूड़ाराम व उसके वारिसों को काश्त करते कभी नही देखा ब्यान किया है। इस प्रकार संवत 2010 से वादगत खेत का काश्तकार [illegible] मनसिंह था व उसके बाद वादगत खेत को अपने पुत्र मगसिंह के हिस्से [illegible] कब्जे कास्त मे रहा व मगसिंह के स्वर्गवास के बाद वादी मंगलसिंह व उसके वारिसान [illegible] के कब्जा कास्त मे होना राजस्व रेकार्ड व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित होता है। प्रतिवादीगण ने न्यायालय मे स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है जिसमे वादीगण के वाद को सत्य एवं सही होना स्वीकार किया है इसमे बडा प्रमाण नही हो सकता कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को स्वीकार किया है। वादीगण ने इन सभी तथ्यो को मौखिक साक्ष्य से भी साबित करवाया है। वादीगण ने अपने वाद की मद संख्या 1 मे नानसिंह व पन्नेसिंह वल्द डूंगरसिंह का वंश वृक्ष पेश किया है तथा धूड़ाराम का वंश वृक्ष पेश किया है जिसको प्रतिवादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण ने कही भी गलत नही बताया है।

इस प्रकार वादीगण ने अपने दस्तावेजो से एवं मौखिक साक्ष्य से तथा राजीनामा से वादगत भूमि पर लगातार कब्जा कास्त होना प्रमाणित किया है इसलिए वादगत खेत की खातेदारी मे धूड़ाराम के नाम दर्ज होना वादीगण के अधिकारो के मुकाबले शुन्य एवं निरस्त योग्य है वादीगण वादगत भूमि की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी हो गये है। वादीगण के नाम खातेदारी की घोषणा करवान उचित है। वादगत खेत की खातेदारी में धूड़ा वल्द रुघा के नाम दर्ज हुआ है वह गलत एवं शुन्य जिसे हटाया जाना उचित है। वादगत भूमि पर कब्जा कास्त वादीगण का अपने पूर्वजो के समय से ही दर्ज चला आना साबित है इसलिए डिक्री कब्जाधारी व खातेदारी की भूमि मे अन्य किसी को दखलअन्दाजी करने का कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 19(1-ए) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार के लिए अधिकृत है। वादी के दादा संवत 2010 से उन अनिवारी के रूप में प्रवेश दिया गया है उसका व उसके उतराधिकारियो का कब्जा कास्त 31 दिसम्बर 1969 तक भी लगातार बना रहा है इस कारण भी वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर व मुताबिक राजीनान वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत ख0न0 803 तादादी 26 बीघा 3 बिस्वा वाके रोही पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु वादीगण संख्या 2 ता 8 के ब.हि.ब. खातेदारी की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के पूर्वज स्व. धूड़ा वल्द रुघा के नाम खातेदारी इन्द्राज गलत व वादीगण के अधिकारो के विरुद्व शुन्य होने से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अंकन करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को जरिये चिर निषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि वादीगण खातेदारी एवं कब्जा कास्त के खेत ख0न0 803 तादादी 26 बीघा 3 बिश्वा वाके रोही पारेवड़ा में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नही देवे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो राजस्व रेकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार बीदासर को निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.4.17 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत. उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्रीमती संजू पारीक, आर.ए.एस

स्व. भंवरसिंह आदि बनाम बगतुराम आदि

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 25 सन् 2013.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .....

हाजरी श्री बजरंग सिंह अभिभाषक, वादीगण व श्री रघुवीर भामू अभिभाषक प्रतिवादीगण स्वयं मिनजानिब मुद्दई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा अन्तिम रुप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है मुताबिक राजीनामा वादगत ख0न0 803 तादादी 26 बीघा 3 बिश्वा वाके रोही पारेवड़ा त0 बीदासर जिला चूरु वादीगण संख्या 2 ता 8 के ब.हि.ब. खातेदारी की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के पूर्वज स्व. धूड़ा वल्द रुघा के नाम खातेदारी इन्द्राज गलत व वादीगण के अधिकारो के विरुद्व शुन्य होने से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अंकन करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को जरिये चिर निषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि वादीगण खातेदारी एवं कब्जा कास्त के खेत ख0न0 803 तादादी 26 बीघा 3 बिश्वा वाके रोही पारेवड़ा में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नही देवे। अन्तिम डिकी की पालना के लिए तहसीलदार को लिखा जावे। राजीनामा डिक्री का भाग होगा

चीज ..... मुबलिग ..... बाबत .....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की

तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 4 2017.

दस्तखत .....

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

ओहदा .....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

Scanned by CamScanner